भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

22.4.14

प्रकरण क्रमांक / R 445-II/2004 / निग./2004/ शिवपुरी

श्री ... द्वारा आज दि. 1/3/04 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
1 MAR 2004

वंशी पुत्र भुज्जी, निवासी- ग्राम हतनापुर, तहसील- कोलारस, जिला- शिवपुरी

-- आवेदक

बनाम

प्रभुलाल पुत्र श्री भालमसिंह,
निवासी- गाँव हतनापुर, तहसील-कोलारस,
जिला- शिवपुरी.

-- अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग प्र0क्र0 /58/ निग./2001-2002 प्रभुलाल बनाम वंशी आदेश दिनांक 31-3-2003 एवं 36/02-03 विविध प्रभु/वंशी आदेश दि. 17-11-03 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 में प्रस्तुत

01/03/2004

श्रीमान् महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यह कि, ग्राम हतनापुर सर्वे क्रमांक 281/0.34, 282/0.25, 283/0.11 एवं पटवारी अभिलेख वर्ष 98-99 में कब्जा दर्ज है व 98 से पूर्व वर्तमान में भी मौके पर हम काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं जिसे अनावेदक ने अतिरिक्त तहसीलदार बदरवास से दिनांक 8-5-2000 को वंशी का अभिलेख से कब्जा हटाने का आदेश बिना नोटिस व सुने आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध आवेदक ने कोलारस एस.डी.ओ. के यहाँ प्रथम अपील पेशी की जो दि. 19-12-2001 को स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के यहाँ प्रत्यावर्तित की। अनावेदक ने एस.डी.ओ. कोलारस के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर के यहाँ निगरानी एवं विविध आवेदन प्रस्तुत किये जो दि. 31-3-2003, 17-11-2003 को स्वीकार हुये, के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 445/II/ 2004

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	जिला शिवपुरी पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

22.4.2014

दिनॉक 2–4–14 को उभय पक्ष के अभिभाषकों को समयावधि के बिन्दु पर सुना गया है। आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 58/01–02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31.3.03 की जानकारी मिलने एंव प्रमाणित प्रतिलिपि में व्यतीत समय मुजरा करने पर निगरानी समयावधि में प्रस्तुत की गई है, जबकि अनावेदक के अभिभाषक ने निगरानी समयवाह्य प्रस्तुत होने से निरस्त करने मी मांग रखी है।

2/ प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि यह निगरानी अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 58/01–02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31.3.03 के विरूद्व न्यायालीय में दिनांक 01–03–04 को अर्थात एक वर्ष से अधिक समय उपरांत प्रस्तुत हुई है। आवेदक के अभिभाषक ने निगरानी मेमो के साथ अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन एंव पुष्टिकरण में शपथ पत्र आदि भी प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि यह निगरानी समयावधि के बिन्दु पर पेशी 01–11–2004 से निर्धारित होकर सुनवाई में चली आ रही है। साथ ही उन्होंने निगरानी मेमो में भी बचाव प्रस्तुत नहीं किया है कि एक वर्ष से अधिक अवधि के निगरानी प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण क्या रहे है और बिना अनुतोष मांगे क्या एक वर्ष का

अनुचित विलम्ब क्षमा किया जाने योग्य है ?

1. परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा 5 – विलंब माफी हेतु आवेदन – आदेश की जानकारी का श्रोत सही नहीं दर्शाया गया – प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं – विलंब माफ नहीं किया जा सकता।
2. म0प्र0 भू राज. संहिता,1959–धारा 47– अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।
3. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 – अंतिम तर्क उपरांत आदेश हेतु तिथी नियत – अंतिम आदेश दिनांक की तिथि अभिभाषक के अभिज्ञान में है– आदेश नियत दिनांक को अभिभाषक ने टीप नहीं किया– आदेश की सूचना होना जाना मानी जावेगी – प्रथक से सूचना देना आवश्यक नहीं है।

3/ आवेदक के अभिभाषक विलम्ब के कारणों का समुचित समाधान नहीं करा सके है, जिसके कारण निगरानी अनुचित विलम्ब से प्रस्तुत होना पाकर इसी–स्तर पर समाप्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर